न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–160/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/160)

1. सत्यनारायण पुत्र रामधन
2. हरजीराम पुत्र रामचंद्र
3. रामजीलाल पुत्र रामधन (समस्त जाति जाट नि0
4. सांवला पुत्र छीतर ग्राम हटुपुरा तहसील दूदू
5. नंदूदेवी पत्नि दुलाराम जिला जयपुर राजस्थान)
6. शोभाग पत्नि हनुमान
7. सायर पत्नि हरजीराम
8. रसाल पत्नि लक्ष्मीनारायण
9. भूली पत्नि श्योनारायण
10. प्रेम पत्नि मोहनलाल
11. लाली पत्नि रामजीलाल

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मोमल पत्नि छोटूराम जाति जाट नि0 हटुपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।
3. शाखा प्रबंधक सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
4. कमला देवी पत्नि रामनारायण जाति जाट नि0 बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
5. धापू देवी पत्नि सुजाराम जाति बलाई नि0 बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू , दिनांक 26.10.2015 अंतर्गत वाद संख्या 331/2013.

उपस्थितः–

1. श्री वी0एल0शर्मा, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री रामजीलाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,4,5
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–31.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 331/2013 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी ने एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलांट व रेस्पोडेंट सख्या 2 व 3 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नम्बर 200 रकबा 10.43 है0 वाकै ग्राम बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी हिस्सा 1/6 तथा शेष प्रतिवादीगण/अपीलांट मुताबिक जमाबंदी के अनुसार खातेदार काश्ताकर है। तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा करवाते आ रहे है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं परंतु मौके पर पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्से का ब्राह्मी बंटवारा कर बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। विधिवत तकासमा नहीं होने से आए दिन मेर कोर को लेकर विवाद होता रहता है। वादीकया अपनेहिस्से की आराजी को उपजाउ बनाना चाहती है तथा प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है एवं तकासमा नहीं करीना चाहते इसलिए दिनांक 03.09.2013 को प्रतिवादीगण ने तकासमा करवाने से इंकार कर दिया जिसपर वादीया ने स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष व बंटवारो का अनुतोष चाहा तथा वाद निर्णय व डिक्री बाबत बंटवारा व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा। जिसपर तलबी प्रतिवीगण की जाकर दिनांक 23.10.2013 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता पन्नालाल चौधरी ने प्रस्तुत किया तथा दिनांक 23.12.2014 को जवाब बंद कर दिनांक 29.06.2015 को पी0डब्ल्यू0 1 मोमल, पी0डब्ल्यू0 2 चंदाराम, पी0डब्ल्यू0 3 रामजीवण के शपथ पत्र प्रस्तुत किए तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.07.2015 को अपीलांट की ईकतरफा कार्यवाही कर वाद प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया। तथा ईकतरफा में नक्शे कुरेजात तैयार कर नक्शे कुरेजात पर बिना सुनवाई का अवसर दिए दिनांक 26.10.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 331/2013 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.10.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस घर बैठकर राजीनामा हो चुका है जिसकी मुल प्रति अपील संख्या 160/22 में प्रस्तुत कि जा चुकी है। फोटो प्रति समझौता पक्ष दिनांक 31.01.2022 की अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है पक्षकारान मुताबिक समझौता मौके पर काबिज काश्त है इसी अनुरूप विचाराधीन अपील स्वीकार फरमाई जाकर बंटवारा फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक समझौता पक्ष दिनांक 31.10.2022 के अनुरूप प्रकरण निर्णय फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिवक्ता श्री पन्नालाल चौधरी को नियुक्त कर काउन्टर क्लेम बाबत घोषणा खातेदारी प्रस्तुत करने एवं आवश्यक साक्ष्य सबुत व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर दिनांक 23.10.2013 को वकालतनामा व आवश्यक जवाबदेही हेतु दस्तावेजात पर हस्ताक्षर कर संभला दिए थे तथा प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने के समय सुचित करने हेतु हिदायत दी गई थी परंतु सूचना नहीं दी गई, इसलिए दिनांक 31.12.2014 को जवाब देही बंद कर दिनांक 27.07.2015 को अपीलांट की ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिए बिना पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। वाद के विचाराधीन रहते ही पक्षकारान के मध्य यह तय हुआ था कि पूर्व में सीमाज्ञान करवा कर जो भूमि करीब 7 बीघा अडोसी पडोसीयान ने दबा रखी है निकलवाई जाकर वादीया को कब्जा संभलाकर सहमती से ही बंटवारा करवाएंगे तथा विचाराधीन प्रकरण वादीया विड्रो कर लेगी, परंतु वादीया ने उक्त समझौते के विपरीत बाला बाला कार्यवाही कर विश्वास व भरोसा भंग कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्राप्त कि जिसकी जानकारी कोविड 2019–2020 व 2021 के चलते एवं प्रार्थीगण जो कि अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व महिलाए होने से राजस्व रिकार्ड व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अधिवक्ता द्वारा भी कभी मौखिक या लिखित में सूचना नहीं भिजवाई गई। मौके पर जाकर कोई नक्शे कुरेजात तैयार नहीं किए गए न ही इस बाबत पटवार हल्का द्वारा सूचना दी। पटवार हल्का द्वारा नापचौक करने कि सूचना देने पर उक्त एकतरफा प्राथमिक निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिवक्ता श्री पन्नालाल चौधरी को नियुक्त कर काउन्टर क्लेम बाबत घोषणा खातेदारी प्रस्तुत करने एवं आवश्यक साक्ष्य सबुत व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर दिनांक 23.10.2013 को वकालतनामा व आवश्यक जवाबदेही हेतु दस्तावेजात पर हस्ताक्षर कर संभला दिए थे तथा प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने के समय सुचित करने हेतु हिदायत दी गई थी परंतु सूचना नहीं दी गई, इसलिए दिनांक 31.12.2014 को जवाब देही बंद कर दिनांक 27.07.2015 को अपीलांट की ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिए बिना पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.07.2015 की ईकतरफा कार्यवाही व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की सूचना व जानकारी नहीं दी गई इसलिए अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही व भूल के कारण ईकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होकर विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिकाओं से प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की तलवी कभी भी नहीं की गई तथा दिनांक 10.12.2014 में अंकित आदेशिका के पश्चात प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की न कभी तामिल जारी की गई न ही कभी तामिल होकर उपस्थित रहे न ही ईकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात भी दिनांक 23.3.2015 को पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता एवं रेवेन्यु कोर्ट मेन्युल में विहित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आदेशिका दिनांक 29.6.2015 में पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हुए थे तत्पश्चात पी0डब्ल्यू 1 मोमल, पीडब्ल्यु0 2 चंदाराम पीडब्ल्यु0 3 रामजीलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता को जिरह का अवसर नहीं दिया गया न ही वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गए। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से कानून के विपरीत जाकर राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर निर्णय में अंकन किया जबकि कानूनन प्रदर्श दस्तावेजात ही वरवक्त निर्णय पढे जा सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय में वाद के समर्थन में कोई भी दस्तावेजात यथा राजस्व नक्शा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ट्रेस, जमाबंदी व कब्जे बाबत दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनन विवेचन करने मे विधि की भूल की है और प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। दिनांक 27.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ईकतरफा आदेश पारित कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किया तथा आदेशिका में बाई मिटस एण्ड बोण्डस नक्शे कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार दूदू को आदेश प्रदान किया जबकि विस्तृत निर्णय में वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार निर्णय पारित किया गया। जबकि वादीया के अभिकथनों में एवं चाही गए अनुतोष में कब्जे एवं हक हिस्से बाबत अभिकथन दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए अभिवचनों व प्लीडिंग्स व चाहे गए अनुतोष के अभाव में न्यायालय द्वारा दिया गया सु–मोटो अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में अभिधृतियों के विभाजन बाबत प्रावधान किए गए है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री क्लोज 2(1) व (2) में कब्जे अनुरूप बंटवारा करने का बिना सहमति या बिना लिखिल ईकरारनामा का कोई प्रावधान नहीं है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे अनुरूप प्राथकि निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। खसरा नम्बर 200 रकबा 10.43 है0 पर कभी भी वादीया का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वादीया ने बिना कब्जे के नुमायशी विक्रय पत्र तैयार करवाया है। कब्जे के अभाव में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया जा सकता था। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के बिना कब्जे की भूमि को कब्जे अनुसार डिक्री पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय मनमाना विधि विरूद्ध पारित किया गया है चूंकि निर्णय के पेज संख्या 2 में अपीलांट/प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता पन्नालाल चौधरी की उपस्थिति दर्ज की गई है जबकि अपीलांट के विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही दिनांक 27.7.2015 को ही न्यायालय के द्वारा की जा चुकी थी। तत्पश्चात भी उपस्थिति दर्शाते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। कानूनन बंटवारे के वाद में सभी हिस्सेदारों का बंटवारा किया जाना चाहिए था वादीया ने अपने वाद के मद संख्या 13 में भी वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य तकासमा किया जाकर लगान की फेंटबंदी अहलदा अहलदा किया जाने का अनुतोष चाहा था। प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.7.2015 कि अनुपालना में समस्त सहखातेदारान के नक्शे कुरेजात एवं लगान की फांटबंदी अहलदा–अहलदा की जानी चाहिए थी। परंतु प्राप्त नक्शे कुरेजात में मात्र वादीया के हक हिस्से तक ही बंटवारा किया गया जबकि वाद के अभिवचनों में व चाहे गए अनुतोष में वादीया ने कोई अनुतोष नहीं चाहा था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्राप्त नक्शे कुरेजात का मनन व ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया तथा सरसरी तौर से उपयोग किए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। निर्णय दिनांक 26.10.2015 में वाद डिक्री किए जाने में अपनी सहमती जारि करना अंकित किया है जबकि आदेशिका व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुरूप कोई सहमति वादीया या प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात वादीया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि प्रतिवादीगण अपीलांट की संयुक्त रूप से जोर व वादीया का कब्जा व संयुक्त जोत वादीया के साथ रही हो, पक्षकार का रिकार्ड के अनुरूप कब्जा साबित होता हो। दूसरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 53 के अनुरूप कब्जे के आधार पर तकासमा किया जाना का कोई प्रावधान नहीं है पत्रावली में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से वादीया ने कब्जा या सामलाती काश्त भी साबित नहीं किया है तत्पश्चात भी विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विरूद्ध तैयार नक्शे कुरेजात के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलाधीन निर्णय कतई प्रवर्श, आरबीट्रेरी एवं कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने से निरस्त किए जाने योग्य है। चूंकि वादीया ने बंटवारे का प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के अवधारणा बाबत अपने निर्णय में किसी प्रकार का समावेश नहीं किया है तथा बिना गुणावगुण पर विवेचन किए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। वादीया का मौके पर कब्जा आज दिनांक तक नहीं है तथा उक्त भूमि रकबे में दर्ज इंद्राज के अनुरूप मौके पर कम है वादीया तकासमा करवाकर जबरन अपीलांट को कब्जे से न्यायालय निर्णय की आड में बेदखल करना चाहती है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री की पालना में कायम नक्शे कुरेजात राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 में विहित 18 से 21 का पालन नहीं किया गया तथा न ही तहसीलदार मौके पर उपस्थित रहा न ही प्रत्येक पक्षकार का अलग–अलग रंगो में हक व हिस्सा भूखण्ड दर्शाया गया तथा न ही स्थल निरक्षण हेतु उपस्थित रहे। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त हेतु उपस्थित रहे। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य हैं नियम 20 के अनुरूप प्रत्येक पक्षकार का जोत का विभाजन नही कर उसके हिस्से का आनुपातिक लगान कायम नहीं किया गया तथा अपीलांट को उसके लगवा भूमि के अनयत्र भूमि दी जाकर सरस व उपजाउ भूमि उत्तम कोटी की ईकजाई वर्ताकार में दी गई जिससे अपीलांट के विद्यमान खेतो के कोने कोने होकर टुकडे किए गए इस प्रकार विहित प्रावधान के विपरीत तैयार नक्शे कुरेजातों के अवलोकन किए बिना पारित अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 331/2013 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.10.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने सर्वप्रथम अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27जा.दी. व अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. में कथन किया कि उक्त अपील में अपील की विषय वस्तु से संबंधित राजस्व रिकार्ड की जमाबंदीयों की सत्यप्रतिलिपी रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 द्वारा पूर्व में पेश नहीं कर सके थे अब रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त जमाबंदीयों को प्रमाणित नकल प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। जिसे रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज व न्यायालय से प्रमाणित प्रति है जिसके किसी प्रकार का फर्जी होने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिए जाने/प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान करे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज लोक दस्तावेजात/ राजकीय दस्तावेज नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावें।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलांट द्वारा श्री पन्नालाल चौधरी एडवोकेट को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया जाना दिनांक 31.12.2014 को जवाब बंद करना, दिनांक 27.07.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित कर दिनांक 26.10.2015 अंतिम निर्णय पारित करना सही है शेष ईबारत जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रकार से दर्ज की गई है गलत है एवं स्वीकार नहीं है अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखने जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए गए है लेकिन अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर ही हुए है ऐसी स्थिति में अपीलांटस किसी प्रकार से अवसर प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 गलत है एवं स्वीकार नहीं है अपीलांट द्वारा मद हाजा में मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से गलत तथ्य दर्ज किए है पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार से सहमति से बंटवारा होने की कोई बात नहीं हुई अपीलांट/अप्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय के बाद से ही रही है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री विधि अनुसार ही पारित किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 05.06.2022 की घटना कतई मनगढत व झूठी दर्ज की है दिनांक 05.06.2022 को अपीलांट संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है बल्कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अप्रेल 2022 में रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 को बैचान कर दिया जब से रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने उपरोक्त उनवानी प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2015 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया था कि अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 200 रकबा 10.43 है0 कुल किता 001 कुल रकबा 10.43 वाके ग्राम बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान की भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जेनुसार बाई मिटस एण्ड बोण्डस (अच्छी से अच्दी व बुरी से बुरी) के सिद्धांत के अनुसार तकासमा किया जाता है। तहसीलदार दूदू को तहरीर जारी हो कि मुताबिक निर्णय नक्शे कुरेजात तैयार कर दो–दो प्रतियों में भिजवाए। दिनांक 12.10.2015 को तहसीलदार दूदू से नक्शे कुरेजात प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किए गए। बहस सुनी गई तथा नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादीया ने प्राप्त नक्शे करेजात के अनुसार वाद को डिक्री किए जाने में अपनी सहमति जाहिर की। तहसीलदार दूदू से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाकर पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाता है। वादीया द्वारा चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 200/1 रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम बोकडावास, तहसील दूदू, जिला जयपुर राजस्थान में वादीया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बेजा मजाहमत नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

11. हमनें अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय दस्तावेज नहीं है तथा दस्तावेज प्रमाणित नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

होने के कारण के कारण **प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. को खारिज किया जाता है।** अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण एवं राजकीय दस्तावेजात होने के कारण तथा विवादित आराजीयात बाबत प्रकरण में न्याय निर्णय में सहायक होगें। न्यायहित में रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते हैं। **अतः रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश दिये जाते है।**

12. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होने एवं मान्नीय उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अनोको प्रकरण में प्रकरण तकनीकि आधार पर निर्णित कर, प्रकरण का गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायहित में प्रार्थीगण/अपीलांटस का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

13. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा वाद संख्या 331/2013 बउनवानी मोमल बनाम सत्यनारायण वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.7.2015 के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील संख्या 159/2022 बउनवानी सत्यनारायण बनाम मोमल पेश की गई है जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.07.2023 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, दूदू को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये है कि वे उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई कासमुचित अवसर प्रदान कर वाद में विधिनुसार प्राथमिक डिक्री पारित करे। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.7.2015 निरस्त किया जा चुका है इसलिये इसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री भी स्वतः ही सारहीन हो चुकी है ।

14. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा वाद संख्या 331/.2013 बउनवानी मोमल बनाम सत्यनारायण वगै0 में पारित निर्णय व अंतित डिक्री दिनांक 26.10.201 5 सारहीन से अपास्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर